

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला - बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ मु.चि.अ./भण्डार/2015

2206

जगदलपुर दिनांक 07/07/2015

प्रति,


प्रभारी एन.आई.सी.शाखा  
जिला-बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0)

विषय :- एन.आई.सी.में निविदा सूचना अपलोड करने बाबत।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि औषधि सामग्री जेनेरिक औषधिया/चिकित्सकिय उपकरण तथा डिस्पोजेबल सामग्रियों की आपूर्ति हेतु कार्यालय द्वारा-खुली मुहर बंद निविदा आमंत्रित किया गया है। जिसे वेबसाईट में अपलोड की जानी है।

कृपया निविदा एन.आई.सी. (सी.जी.हेल्थ तथा जिले के वेबसाईट) में भी अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)


पृ.क्रमांक/ मु.चि.अ./भण्डार/2015

2207-2

जगदलपुर दिनांक 07/07/2015

प्रतिलिपि

1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषिता
2. कलेक्टर जिला-बस्तर जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषिता

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

Office Phone No- 07782-222281

E Mail ID -cmhobastar@gmail.com

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2158/27/15 भण्डार/2015-16 जगदलपुर दिनांक 0.0.2015 के अनुसार मशीनरी/उपकरण/सामग्री के लिए बुलाई गई ।

निविदा की शर्तें :-

- 1 निर्माता कंपनी अथवा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा निविदा भरे जा सकेंगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र निविदादाता को प्रस्तुत करना होगा।
- 2 निविदादाता को पेन नम्बर/ बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल प्रति की छाया प्रति)/ सेल टैक्स चुकता प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना होगा। क्रय समिति आपके द्वारा छाया प्रति के रूप में जमा किये गये दस्तावेजों का मूल प्रति से मिलान करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है। जिन्हें मांगे जाने पर आपके द्वारा मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 3 मशीनरी/उपकरण/सामग्री की गुणवत्ता निम्न स्तर पाये जाने पर अमानत राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 4 अंकित दर कार्यालय के मुख्य भण्डार में प्रदाय करने का होना चाहिए। आपके द्वारा देयकर का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
- 5 प्रत्येक निविदादाता को अमानत राशि के रूप में पच्चास हजार रुपये का एफ.डी.आर. /बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर के नाम से बनाकर संलग्न करना होगा। जिसे असफल निविदादाता को वापस कर दिया जावेगा एवं सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा समाप्ति तक जमा रखी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 6 मशीनरी/उपकरण/सामग्री आदेश प्राप्त होने के 30 दिवस में प्रदाय करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसे अन्य प्रदायकर्ता से मंगाने पर यदि अतिरिक्त व्यय आता है तो उसकी वसूली स्वीकृत निविदादाता से की जावेगी।
- 7 निविदा की दरें दर अनुमोदन से एक वर्ष के लिए तक के लिए मान्य होगी। क्रय समिति के निर्णय अनुसार निविदा अवधि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

